भारत सरकार

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

कार्यपालक अभियंताओं / उप निदेशकों (उद्यान) के लिए

विभागीय परीक्षा

2021

संविदा विधि

समयः 3 घंटे   पूर्णांकः 100

भाग-क

1. अन्तर स्पष्ट करें (किसी चार का उत्तर दें)   4 x 5 = 20

(क) करार और संविदा (भारतीय संविदा अधिनियम के संदर्भ में)

(ख) वचनदाता और वचनग्रहीता (भारतीय संविदा अधिनियम के संदर्भ में)

(ग) सुलह और मध्यस्थता

(घ) अग्रिम भुगतान और प्रतिभूतित अग्रिम

(ङ) मद निविदा और ई पी सी निविदा

भाग-ख

भाग - ख में दस प्रश्न हैं और इनमें से किसी भी 8 का उत्तर दें।   8 x 10 = 80

2. आप कार्य के प्रभारी अभियंता हैं। 2 /3 से ज्यादा समय बीत चुका है और कार्य की प्रगति केवल 20% है। यह विलंब ठेकेदार के कारण हुआ है। आपने संविदा को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस का मसौदा लिखें। अपने नोटिस में जी सी सी से संबद्ध क्लाज का उल्लेख करें।

3. जी सी सी के क्लाज 12 के अनुसार प्रभारी अभियंता को एक्स्ट्रा आइटम का दावा प्राप्त करने के 45 दिन के अन्दर उसका दर निर्धारित करना होता है। आप उक्त समयावधि में दर निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं और आपके निर्णय में एक माह का विलम्ब हो सकता है।
ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ?

4. एक संविदा में करार के एक मद की मात्रा डिविएशन सीमा से ज्यादा बढ गई है। ठेकेदार ने बढी हुई मात्रा का संशोधित दर प्रस्तुत किया है ।
ऐसी स्थिति में आप क्या कार्रवाई (जी सी सी के किस क्लाज के अधीन) करेंगे ? क्या ऐसी कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा है ?

5. 100 न. आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक संविदा करार किया गया। कार्य अवार्ड करने के बाद क्लाइंट डिपार्टमेंट ने फंड की कमी के कारण कार्य को घटाकर 50 न. क्वार्टर कर दिया।
कार्य में की गई इस कमी के बारे में सूचित करते हुए ठेकेदार को संबोधित कर एक पत्र का मसौदा लिखें। कृपया अपने पत्र में जी सी सी के संबद्ध क्लाज का उल्लेख करें ?

6. ठेकेदार, कार्य का एक छोटा भाग पूरा नहीं कर रहा है। फलस्वरूप आप उस कार्य को उसके कार्यक्षेत्र से हटाकर किसी और ऐजेन्सी से करवाना चाहते हैं।
आप अपना आशय सूचित करते हुए ठेकेदार को सम्बोधित, कारण बताओ नोटिस का मसौदा लिखें। कृपया अपने पत्र में जी सी सी से संबद्ध क्लाज का उल्लेख करें।

7. एक माध्यस्थम अवार्ड में, मध्यस्थ ने उन कारणों को रिकार्ड नहीं किया है जिनकी वजह से वे उस निर्णय पर पंहुचे हैं। आप क्या करेंगे ?

8. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में संविदात्मक विवादों की घटनाओं और मध्यस्थताओं को कम करने हेतु क्या कदम उठाने हेतु आप संस्तुति करेंगे।

9. आप किस स्थिति में अग्रिम भुगतान करेंगे ? ऐसे मामले में आप अधिक भुगतान करने से बचने हुते क्या सावधानी उठाएंगे ?

10. वर्कमेन कम्पनशेसन एक्ट 1923 के संदर्भ में परिभाषित करें :

(क) नियोक्ता
(ख) आंशिक निःशक्तता
(ग) मजदूरी

11. जब हम कहते हैं कि दावा 'समयवर्जित' (टाइम बार्रड्) हो गया गया है तो उसका अर्थ क्या है। आप ऐसे दावे का किस प्रकार बचाव करेंगे ?